

Dated : 28-1-1990

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1988

सा. का. नि. 58-केन्द्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 (1980 का 46) की धारा के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (उ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन नियम का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड (राज्यों के साथ विवादों का सुझाव) नियम, 1988 है।

2. वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :-

1. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "अधिनियम" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 4) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड अभिप्रेत है

(ग) "विवाद" से ऐसा विवाद अभिप्रेत है, जो बोर्ड और किसी राज्य सरकार के बीच अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में उत्पन्न हो या उत्पन्न हो गया हो ;

(घ) "विवाद के पक्षकार" से बोर्ड और ऐसे एक या अधिक राज्य सरकारें अभिप्रेत हैं, जिनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया है।

(2) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों के जिनका प्रयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किए हैं किन्तु अधिनियम में जिन्हें परिभाषित किया गया है, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम समुद्रिष्ट किए गए हैं।

3. बातचीत द्वारा विवादों का सुलझाया जाना :

किसी विवाद के संबंध में निर्देश प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार (यों) प्रतिनिधियों और/या अध्यक्ष/उपध्यक्ष ब्रह्मपुत्र बोर्ड की एक बैठक बुलाएंगे और बातचीत के माध्यम विवाद सुलझाने का प्रयत्न करेंगे।

4. सुलह द्वारा विवादों का सुलझाना :

(1) केन्द्रीय सरकार विवाद की सुलह के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग को निर्दिष्ट करेगा, जो विवाद में सुलह कराने का प्रयत्न करेगा और ऐसे कदम उठाएगा, जिन्हें वह विवाद के पक्षकारों की समझौते पर पहुंचने के योग्य बनाने के प्रयोजनों के लिए उचित समझे।

(2) सुलह कराने वाला, उससे समनुदेशित किए गए कार्य को पहली बैठक की तारीख से दस मास के भीतर पूरा करेगा, किन्तु केन्द्रीय सरकार छह मास की अवधि तक समय का समुचित विस्तार कर सकती है यदि इस नियमित अनुबोध या तो सुलह कराने वाले द्वारा या विवाद के पक्षकारों में किसी के द्वारा किया जाता है।

5. मध्यस्थ नियुक्त किये विवादों का सुलझाया जाना :

(1) नियम 3 या नियम 4 में अन्तर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी यदि केन्द्रीय सरकार विवाद में बातचीत या समझौते के द्वारा सुलझाने के लिए कार्यवाही आरम्भ करने से चाहे पहले या ऐसी कार्यवाही आरम्भ करने के पश्चात किसी प्रक्रम पर ऐसा समझौते है कि विवाद इस किस्म का है कि इसे माध्यस्थता से निर्दिष्ट करना आवश्यक या समीचीन है तो वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन विवाद के निपटारे के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुबोध करेगी

(2) उपनियम (1) के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्याय मूर्ति के परामर्श से अन्तर्निष्ठ की जाए।

3. उप नियम (1) के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के पश्चात केन्द्रीय सरकार विवाद को एक स्वतः पूर्ण टिप्पण के द्वारा मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सूचनाएं अन्तर्निष्ठ होंगी -

(क) विवाद के पक्षकार

(ख) विवादग्रस्त विनिर्दिष्ट बात या बातें पूरे न्यौरे के साथ

(ग) विवाद के संबंधित या सुसंगत कोई अन्य बात

(घ) ऐसे प्रयत्न, यदि कोई हो, जो विवादग्रस्त बात (बातों) के समाधान के लिए विवाद के पक्षकारों द्वारा स्वतः या नियम 3 और नियम 4 के अधीन बातचीत और या समझौता के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए हों, और

(ङ) विवादग्रस्त बात या बातों के संबंध में व्यक्ति पक्षकार/पक्षकारों के विचार।

(सं. 30/12/82-ए गी)

तक्ष्मी चन्द, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1988

G.S.R 58.- In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section(2) of section 28 read with section 23 of the Brahmaputra Board Act, 1980(46 for 1980), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement-(1) These rules may be called the Brahmaputra Board (Resolving of Disputes with States) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Act" means the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980)

(b) "Board" means the Brahmaputra Board established under section 4 of the Act ;

(c) "Dispute" means any dispute that may arise, any or may have arisen between the Board and any State Government regarding any matter covered by the Act ;

(2)

(d) "Parties to the dispute" means the Board and one or more State Governments with whom the dispute may arise or may have arisen.

(2) The words and expressions used and not defined in the Act shall have the meaning respectively ad to them in the Act.

3. Resolving of disputes by negotiations.-On receipt of reference regarding a dispute the Central Government shall call a meeting of the representatives of the concerned Government(s) and/or the Chairman/Vice-Chairman, National Water Board and shall endeavour to resolve the dispute through negotiations.

4. Resolving of disputes by conciliation.-- (1) The Central Government may refer the disputes for conciliation to the Chairman, Central Water Commission, who shall try to conciliate the dispute and shall take all such steps, as he may deem fit, for purposes of enabling the parties to the dispute to come to a settlement.

(2) The Conciliator shall complete the task assigned to him within six months from the date of the first meeting. The Central Government may grant suitable extension of time upto a period of six months if a request in that behalf is made by either the Conciliator or any of the parties to the dispute.

(5) Resolving of disputes by appointing Arbitrator, notwithstanding anything contained in rules 3 or 4, if the Central Government considers, whether before initiating action for resolving the dispute by negotiation or conciliation, or at any stage after initiating such action that the dispute is of such a nature that it is necessary or expedient to refer

it to arbitration, it shall request the Chief Justice of India for appointment of an Arbitrator under sub-section (3) of section 23 of the Act for the settlement of this dispute.

(2) The terms and conditions of appointment of the Arbitrator under sub-rule (1), shall be such as may be determined by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India.

(3) After the Arbitrator is appointed by the Chief Justice of India under sub-rule (1) The Central Government shall refer the dispute to the Arbitrator in a self contained note containing inter alia, the following information :-

- (a) The parties to the dispute;
- (b) Specific matter or matters in dispute with full details thereof ;
- (c) Any other matter connected with or relevant to the dispute;
- (d) Efforts, if any, made by the parties to the dispute themselves or by the Central Government through the negotiations and/or conciliation as under rules 3 and 4 to settle the matter(s) in dispute; and
- (e) The views of the aggrieved party/parties on the matter or matters in dispute.

[No. 30/12/82 FC]

LAKSHMI CHAND, Jt. Secy.